

23-11-18

जायब मिसल तबकी पेरा होने पर
पत्रावली काज पेरा हुयी। वादी के
वकील इजाजत । वादी के वकील के
वाद पत्र से यलाना तही चाहे है
वादी के वकील के वाद पत्र पर
मोट प्रेस न'मित किया है अतः
वाद पत्र मोट प्रेस में खारिज
किया जाता है पत्रावली केहाल शुभ्य
होकर नम्बर 6 वापस लक्ष
दफ्तर दाखिल हो


उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Mofepress



एव



की/का